

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29-05-2021

आज दिनांक 29.05.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना दुधारा पुलिस द्वारा छेड़खानी करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डाँ कौस्तुभ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री रामप्रकाश के निकट पर्यवेक्षण में थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 179/21 धारा 354/354(क) भा0द0वि0 व 7/8 पास्को एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता फैजुरहमान पुत्र मो0 नबी निवासी विगरा अक्वल थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.05.2021 को प्रार्थिनी की पुत्री के साथ छेड़खानी व भागने व शारीरिक सम्बन्ध बनाने हेतु दबाव बनाया गया था जिसके उपरान्त वादिनी द्वारा दिनांक 26.05.2021 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए दिनांक 29.05.2021 को थाना दुधारा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जनार्दन सिंह, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह ।

सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 1130 रुपये नकद व ताश के 52 पत्तों के साथ 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तगण नाम पता 1 – अशरफअली पुत्र अहमद दार 2- मो0 आसिफ पुत्र मो0 युनुस 3- मो0 अतीक पुत्र मो0

शफीक 4- अल्लतमस चौधरी पुत्र बदरे मुनीर निवासी अमथरी थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर को 800 रुपये मालफड़, 330 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 88/21 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, हे0का0 जयप्रकाश मिश्रा, का0 पुनीत पाठक, का0 राजाराम गुप्ता, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह ।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता फिदा हुसैन पुत्र अताउल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 152 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- प्रभारी चौकी दुर्गजोत उ0नि0 श्री रमेश यादव, का0 मंजीत मौर्य ।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 20-10-10- 10 लीटर (कुल 50ली)अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्तगण नाम पता 1-रामनयन पुत्र रामसूरत निवासी छपिया 2- रामबहादुर पुत्र रामआश्रय निवासी प्रजापतिपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर 3- राजकरन उर्फ छोटू पुत्र रामनयन निवासी नरगड़ा जंगासिंह थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर 4- सिराजुद्दीन पुत्र गफफार निवासी उमरिया बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से क्रमशः 20-10-10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 255/2021, 256/2021, 257/2021, 258/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्री मनोज कुमार पटेल, उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री पवन कुमार, हे0का0 श्री संजय सिंह, हे0का0 श्री सर्वानन्द सिंह, हे0का0 श्री विजय सिंह, हे0का0 श्री राधेश्याम वर्मा, हे0का0 श्री विनोद यादव, हे0का0 श्री अशोक कुमार, का0 श्री रघुवंश ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 25 अदद बंटी बबली ब्राण्ड अवैध कच्ची शराब (200 मिली प्रत्येक कुल 4.5 लीटर) के साथ अभियुक्त नाम पता तुलसीराम पुत्र जोखन निवासी नरायनपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 153/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रविन्द्र नाथ तिवारी, हे0का0 श्री देवेन्द्र यादव, का0 धर्मेन्द्र ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त नाम पता पप्पू प्रसाद पुत्र राजकुमार निवासी विसौवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 133/2021 धार 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सौरभ मिश्रा, का0 श्री गिरजेश ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत बिगरा अक्वल से इवेन्ट संख्या 06839 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना दुधारा के सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना के घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 श्यामसुंदर मिश्र, मु0आरक्षी दिनेश प्रसाद, हो0चा0 सुरजीत कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 30 वाहनो से 21000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.05.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 30 वाहनो से 21000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।